कम्प्यूटर नं० -2122010

महत्वपूर्ण

परिपत्र संख्या–स0द0 / 25क / 2021–22 / रोड चेकिंग / कम्प्यूटर परि0सं0– / /195/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचल दल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनॉक :: 28 जून, 2021

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0),

ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0अनु0शा0)

डिप्टी कमिश्नर / असि0कमि0 / वा0क0अधिकारी

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय::सचल दल इकाईयों द्वारा माल का परिवहन करने वाले वाहनों की जॉच के सम्बंध में।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा–68 एवं तदधीन निर्मित नियमावली के नियम–138 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मालयुक्त वाहनों के परिवहन के दौरान जॉच के सम्बंध में परिपत्र सं0 1920049 दिनॉक 26–08–2019, 2021032 दिनॉक 03–12–2020 से निर्धारित मासिक कार्यात्मक लक्ष्यों को परिपत्र सं0 2122003 दिनॉक 23–04–2021 से स्थगित करते हुए आसूचना आधारित प्रवर्तन कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्व में जारी उक्त परिपत्र दिनॉक 26–08–2019, दिनॉक 03–12–2020 एवं परिपत्र दिनॉक 23–04–2021 के प्रस्तर–2 को अतिक्रमित करते हुए सचल दल इकाईयों द्वारा माल का परिवहन करने वाले वाहनों की जॉच के सम्बंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

1– एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) के निर्देश पर ही जोन में तैनात सचल दल इकाईयों द्वारा माल का परिवहन करने वाले वाहनों की जॉच हेतु कार्यालय से प्रस्थान किया जायेगा। रोड चेकिंग पर प्रस्थान से पूर्व सम्बंधित सचल दल इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान / रोड, समय, सहयोगी अधिकारी, कर्मचारी एवं हमराही पुलिसकर्मी का विवरण रोड चेकिंग रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) द्वारा सचल दल इकाई के परिनियोजन की प्रविष्टि परिपत्र सं0 1920071 दिनॉक 28–11–2019 के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

2– चेकिंग हेतु चिन्हित स्थान / रोड पर पहुँचने के तुरन्त बाद सचल दल अधिकारी द्वारा अपने नियंत्रक एवं पर्यवेक्षक अधिकारी को दूरभाष से अवगत कराया जायेगा। निर्देशानुसार चिन्हित स्थान / रोड पर चेकिंग के पश्चात किसी अन्य स्थान / रोड पर उच्चाधिकारी के निर्देश पर ही जॉच की जायेगी।

3– जॉच समाप्त होने पर कार्यालय वापसी की सूचना उच्चाधिकारियों को देने के पश्चात वापसी का समय रोड चेकिंग रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

4– ई–वे बिल पोर्टल पर उपलब्ध इण्टेलीजेन्स रिपोर्ट में करापवंचन के दृष्टिकोण से चिन्हित वस्तुओं, करदाताओं एवं ट्रान्सपोर्टर/वाहन एवं ई–वे बिल तथा आर0एफ0आई0डी0 इण्टीग्रेशन के सम्बंध में उपलब्ध सूचना का सम्यक विश्लेषण एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0), ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के साथ करते हुए चेकिंग का स्थान/रोड व समय निश्चित किया जायेगा।

5– बाह्य श्रोतों से प्राप्त होने वाली करापवंचन की सूचना एवं श्रोत को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 द्वारा अभिलिखित किया जायेगा। प्राप्त सूचना के सम्बंध में जी0एस0टी0, ई–वे बिल पोर्टल पर उपलब्ध विवरणों से प्रारम्भिक पुष्टि करने के पश्चात स्वविवेक से सचल दल इकाईयों को चेकिंग हेतु रवाना किया जायेगा।

6– सचल दल अधिकारियों द्वारा रोड चेकिंग के समय बॉडीवार्न कैमरा का उपयोग किया जायेगा तथा इकाई से सम्बद्ध वाहन में वी0टी0एस0 का क्रियाशील होना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7– मालयुक्त वाहनों की जॉच के समय विनिर्दिष्ट प्रपत्रों का मोबाइल ऐप से सत्यापन करने के साथ–साथ रू0 पचास हजार से कम मूल्य के बिलों को संग्रहीत करते हुए जी0एस0टी0 प्रवर्तन मैनुअल में विहित रीति से विभागीय वेबसाइट पर दर्ज किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

28/6/2021

(मिनिस्ती एस.)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0 प0 सं0 व दिनॉकः उक्त।

प्रतिलिपिः–

1– अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ ।

2– डिप्टी कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर सुसंगत मेन्यू पर अपलोड कराने हेतु।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।